संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

परिचय :– राज्य सरकार द्वारा राज्य में विद्युत तंत्र के सुधार एवं उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 19 जुलाई 2000 को तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विघटन करके पाँच विद्युत कंपनियों का गठन किया गया। इनमें से तीन कंपनियाँ– जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. अजमेर तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर के नाम से वितरण क्षेत्र में स्थापित की गईं। एक कंपनी विद्युत प्रसारण क्षेत्र में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम जयपुर के नाम से तथा एक कंपनी विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम जयपुर के नाम से स्थापित की गई।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना सार्वजनिक कम्पनी के रुप में की गई है जिसे संक्षिप्त में जयपुर डिस्कॉम भी कहा जाता है। वर्तमान में इसकी अधिकृत अंश पूंजी 20000 करोड रुपये है। जयपुर डिस्कॉम की समस्त अंश पूंजी राजस्थान सरकार के पास तथा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधियों के पास है। राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों के पास केवल 10–10 रुपये का एक अंश पूंजी है अतः व्यवहारिक रुप से जयपुर डिस्कॉम की सारी अंश पूंजी राजस्थान सरकार में ही निहित है।

जयपुर डिस्कॉम का संचालन कम्पनी अधिनियम के तहत निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। निदेशक मण्डल सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है जिनका विवरण निगम की वेब–साईट के लिंक https://energy.rajasthan.gov.in/content/raj/energy-department/jaipur-vidyut-vitran-nigam-ltd-/en/about-us/bod.html पर बार्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अन्तर्गत उपलब्ध है।

निगम मुख्यालय :– विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005

संगठनात्मक चार्ट जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.

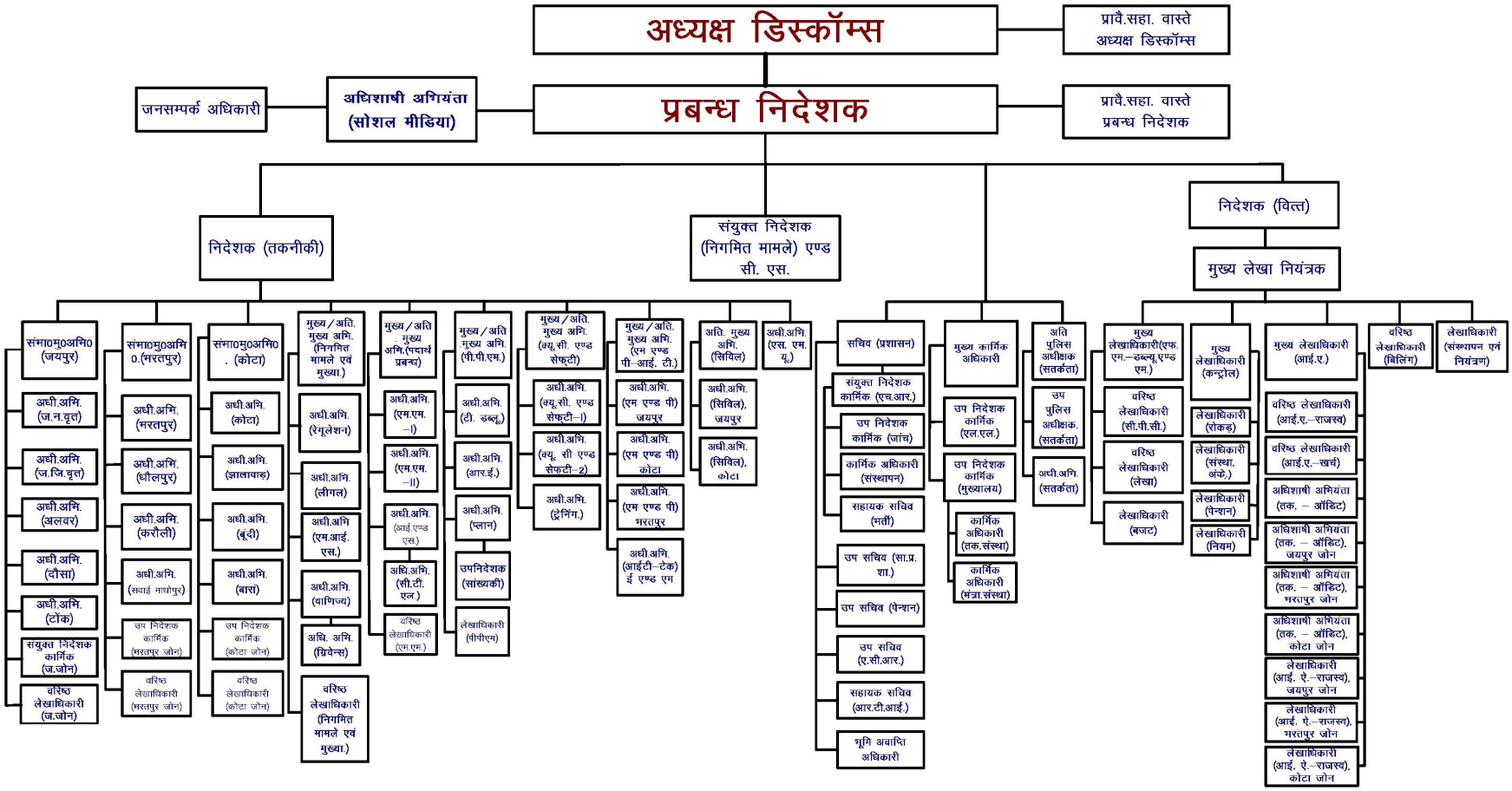

जयपुर डिस्कॉम का कार्यक्षेत्र :– जयपुर डिस्कॉम का कार्यक्षेत्र राज्य के 12 जिलों में क्रमशः अलवर, बांरा, बून्दी, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, झालावाड, कोटा करौली, सवाईमाधोपुर व टोंक में विस्तारित है। कोटा एवं भरतपुर जिलों के शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण का कार्य फ्रेंचाईजी मॉडल पर सी.ई.एस.सी. (कलकत्ता इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन) द्वारा किया जा रहा है।

जयपुर डिस्कॉम के मुख्य उद्देश्य :– जयपुर डिस्कॉम का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यक्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिए समुचित व सुदृढ विद्युत वितरण तंत्र स्थापित करने के साथ ही उसे निरन्तर समृद्ध करना है ताकि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की विद्युत बेहतर वोल्टेज रेग्यूलेशन के साथ उपलब्ध करवाई जा सके।

लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य– जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न औधोगिक, कृषि, घरेलू, अघरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अनवरत उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति करना, अविद्युतीकृत क्षेत्रों का विद्युतीकरण करना, विद्युत छीजत को न्युनतम स्तर पर लाना।

जयपुर डिस्कॉम के मुख्य कर्तव्य–

1. जयपुर डिस्कॉम के कार्यक्षेत्र में विधुतीकृत गांवो व शहरी निकायो में स्थित आवासीय गृहों, उद्योगों, कार्यालयों, संस्थाओं एवं व्यापारिक संगठनों आदि को विभिन्न श्रेणियों में विद्युत कनेक्शन मांग अनुसार देना।
2. विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं को राज्य सरकार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग एवं अन्य नियंत्रक प्राधिकरणों के मानदण्डों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करना।
3. विद्युत प्रदाय की निरंतरता एवं गुणवत्ता को बनाये रखना।
4. विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण करना।
5. विद्युत उपभोक्ताओं के विवादों का समझौता समितियों एवं अन्य उपायों के माध्यम से निस्तारण करना।
6. 33/11 के. वी. एवं एल. टी. लाइनों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं उनका रख रखाव करना।
7. 33/11 के.वी. ग्रिड सब–स्टेशनों तथा 11/0.4 के.वी. ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण एवं उनका रख रखाव करना।
8. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप निर्मित विद्युत उपकरणों का उपयोग/स्थापना हेतु आम जन को प्रेरित करना।
9. विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जा सरंक्षण एवं बिजली की बचत के उपायों के बारे में जागरूक करना।

10. विद्युत चोरी की रोकथाम के लिये जनता को प्रेरित करना एवं विद्युत चोरी रोकने के प्रभावी उपाय करना एवं जनसहभागिता की वृद्धि करना।
11. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत घरेलू, कृषि एवं आद्यौगिक श्रेणी में प्राथमिकता के साथ विद्युत कनेक्शन प्रदान करना।
12. सरकार द्वारा संचालित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रमों व बिजली बचत एवं मांग प्रबन्धन की योजनाओं को अपने कार्यक्षेत्र में क्रियान्वित करना।